यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–20.12.19

मि.न.158 / 2019

सरकार बनाम सरजीत

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0327 / 0.14है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि मेंसे कमशः 0.0025पर सरजीत पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने फसल गेहूँ कास्त कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि मेरी जानकारी द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया है फिर भी अतिकमण पाया जाता है तो उसको हटालेगा। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल सरजीत पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने वाके ग्राम खेडकी वीरभान के खसरा नंबर 327 / 0.14 है 0किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता की भूमि मेंसे 0.0025है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिकमण सिद्व होता है अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल सरजीत पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0 327 / 0.14 है0 ,किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0025है0 भूमि पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल गेहूं को निलाम किया जाकर भौतिक रूप

से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी0.01रू. का पचास गुणा 1रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।